# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 27/2016 अपील

श्रीमती मनीषा पत्नी स्व. श्री शंकर लाल ब्राह्मण निवासी एजेन्सी देवली, तहसील देवली जिला टोंक

बनाम

1. संत निरंकारी मण्डल रजिस्टर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव व निरंकारी चौक, मुरारी रोड़, दिल्ली
2. श्री फूलचन्द बजाज पुत्र श्री केसर दास महाजन निवासी संत निरंकारी सत्संग भवन मोहल्ला, कोसियान बाजी पलटन रोड, टोंक
3. राजस्थान राज्य तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

– प्रत्यर्थीगण

**अपील विरूद्व नामान्तरण सं. 2122, दिनांक 30.05.2016**
**ग्राम ऊंचा पटवार हल्का ऊंचा तहसीलदार जहाजपुर**
**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम**

उपस्थित –

1. श्री रामेश्वरलाल विजयवर्गीय अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.04.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर को बमामलें नामान्तरण सं. 2122 दिनांक 30.05.2016 के खिलाफ दिनांक 01.07.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खेवट खतौनी सं. 155 ग्राम ऊंचा तहसील जहाजपुर में अंकित कुल आराजियात 10 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा में अपीलार्थीया का 1/6 भाग व अपीलार्थीया के पुत्र दिलीप का 5/6 भाग था । अपीलार्थीया ने अपने 1/6 भाग को बिना बंटवाड़ा हुए प्रत्यर्थी सं. 01 को दिनांक 25.08.2015 को पंजीकृत दान पत्र निष्पादित कर दान कर दिया, किन्तु खाते में अंकित आराजियात का बंटवाड़ा नहीं होने से वास्तविक आधिपत्य आराजियात का संत निरंकारी मण्डल को नहीं दिया, किन्तु पंजीकृत दान पत्र के आधार पर विवादित खाते में अपीलार्थीया के स्थान पर प्रत्यर्थी सं. 01 का नाम अंकित होकर उसका 1/6 भाग अंकित कर दिया गया ।अपीलार्थी द्वारा संत निरंकारी मण्डल के यहां उक्त दान पत्र के संबंध में बंटवाडा न होने का तथ्य बताने पर संत निरंकारी मण्डल की संस्था ने दान शुदा उक्त 1/6 हिस्से को पुनः अपीलार्थी को विक्रय करने का निर्णय लिया व संत निरंकारी मण्डल ने 5 लाख रूपया प्रतिफल लेकर उस दान शुदा 1/6 आराजियात के भाग को पुनः अपीलार्थीया को

पंजीकृत विकय पत्र द्वारा दिनांक 01.02.2016 को विकय कर दिया । उक्त विकय के आधार पर अपीलार्थीया ने नामान्तरण अपीलार्थीया के पक्ष में खोलने की प्रार्थना तहसीलदार जहाजपुर के यहां की , जिसको बिना किसी आधार के नामान्तरकरण को खारिज कर दिया । संत निरंकारी मण्डल रजिस्टर्ड संस्था है जिसका दान पत्र किसके जरिये दान ग्रहिता को दिया गया , यह महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि दान ग्रहिता रजिस्टर्ड संस्था हैं । जिसके नाम पर दान दिया गया एवं दान लेने वाली रजिस्टर्ड संस्था पुनः रजिस्टर्ड संस्था के नाम से ही विकय पत्र अपीलार्थीया के पक्ष में निष्पादित किया , दोनों में कोई भिन्नता नहीं हैं। अतः इस आधार पर नामान्तरकरण निरस्त करने में तहसीलदार जहाजपुर ने विधि एवं तथ्यों संबंधी भूल की हैं । अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अपीलार्थीया के पक्ष में उक्त आराजियात खाते में विकय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण खोला जाने का आदेश प्रदान कराया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.07.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया ।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि खेवट खतौनी सं. 155 ग्राम ऊंचा तहसील जहाजपुर में अंकित कुल आराजियात 10 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा में अपीलार्थीया का 1/6 भाग व अपीलार्थीया के पुत्र दिलीप का 5/6 भाग था । अपीलार्थीया ने अपने 1/6 भाग को बिना बंटवाड़ा हुए प्रत्यर्थी सं. 01 को दिनांक 25.08.2015 को पंजीकृत दान पत्र निष्पादित कर दान कर दिया, किन्तु खाते में अंकित आराजियात का बंटवाड़ा नहीं होने से वास्तविक आधिपत्य आराजियात का संत निरंकारी मण्डल को नहीं दिया, किन्तु पंजीकृत दान पत्र के आधार पर विवादित खाते में अपीलार्थीया के स्थान पर प्रत्यर्थी सं. 01 का नाम अंकित होकर उसका 1/6 भाग अंकित कर दिया गया ।अपीलार्थी द्वारा संत निरंकारी मण्डल के यहां उक्त दान पत्र के संबंध में बंटवाडा न होने का तथ्य बताने पर संत निरंकारी मण्डल की संस्था ने दान शुदा उक्त 1/6 हिस्से को पुनः अपीलार्थी को विकय करने का निर्णय लिया व संत निरंकारी मण्डल ने 5 लाख रूपया प्रतिफल लेकर उस दान शुदा 1/6 आराजियात के भाग को पुनः अपीलार्थीया को पंजीकृत विकय पत्र द्वारा दिनांक 01.02.2016 को विकय कर दिया । उक्त विकय के आधार पर अपीलार्थीया ने नामान्तरण अपीलार्थीया के पक्ष में खोलने की प्रार्थना तहसीलदार जहाजपुर के यहां की , जिसको बिना किसी आधार के नामान्तरकरण को खारिज कर दिया । संत निरंकारी मण्डल रजिस्टर्ड संस्था है जिसका दान पत्र किसके जरिये दान ग्रहिता को दिया गया , यह महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि दान ग्रहिता रजिस्टर्ड संस्था हैं । जिसके नाम पर दान दिया गया एवं दान लेने वाली रजिस्टर्ड संस्था पुनः रजिस्टर्ड संस्था के नाम से ही विकय पत्र अपीलार्थीया के पक्ष में निष्पादित किया , दोनों में कोई भिन्नता नहीं हैं। अतः इस आधार पर नामान्तरकरण निरस्त करने में तहसीलदार जहाजपुर ने विधि एवं तथ्यों संबंधी भूल की हैं । अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अपीलार्थीया के पक्ष में उक्त आराजियात खाते में

विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण खोला जाने का आदेश प्रदान कराया जावे ।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम ऊंचा तहसील जहाजपुर के नामान्तरकरण सं. 2122 में आ.नं. 1266, 1267, 1268,1274,1278,1296,1353,1353/1,1625/1264,1626/1265 किता 10 रकबा 25.06 बीघा भूमि विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 01.02.2016 से 1/6 हक व हिस्सा संत निरंकारी मण्डल रजिस्टर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव व निंरकारी चौक, मुरारी रोड़, दिल्ली जरिये फूलचन्द बजाज पुत्र केसरदास महाजन निवासी संत निरंकारी सत्संग भवन मोहल्ला, कोसियान बाजी पलटन रोड, टोंक से मनीषा बेवा शंकर लाल ब्राह्मण निवासी ऐजेन्सी देवली के पक्ष में विक्रय किया गया । इस रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर पटवारी हल्का अमरवासी ने नामान्तरण दर्ज कर भू. अभिलेख निरीक्षक से जाँच करवाकर तहसीलदार जहाजपुर के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया। तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 30.05.2016 को उक्त नामान्तरकरण को अस्वीकृत कर दिया । नामान्तरकरण के परीक्षण से स्पष्ट होता हैं कि तहसीलदार जहाजपुर द्वारा नामान्तरकरण सं. 2122 को अस्वीकृत करने का आधार कारण अंकित नहीं किया । तहसीलदार जहाजपुर का यह आदेश Speaking Order नहीं हैं । तहसीलदार जहाजपुर का आदेश दिनांक 30.05.2016 त्रुटिपूर्ण हैं । अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं । अतः नामान्तरकरण सं. 2122 पर पारित आदेश 30.05.2016 को अपास्त करते हुये तहसीलदार जहाजपुर को प्रकरण प्रति प्रेषित करते हुये सम्पूर्ण दस्तावेजात एवं तथ्यों की जाँच की जाकर रजिस्टर्ड दस्तावेज बेचान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण बाबत् विधिवत निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं । अतएव–

## आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा नामान्तरकरण सं. 2122 दिनांक 30.05.2016 बाबत जारी आदेश को विधि विरूद्व होने से खारिज किया जाता हैं । तहसीलदार जहाजपुर को प्रकरण प्रति प्रेषित करते हुये सम्पूर्ण दस्तावेजात एवं तथ्यों की जाँच की जाकर रजिस्टर्ड दस्तावेज बेचान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण बाबत् विधिक निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाता हैं । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/04/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा